न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 99/2015

1 पप्पु कुमार उम्र 36 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2 राधेश्याम उम्र 33 वर्ष पुत्र जीवण राम जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 हरदयाल उम्र 58 वर्ष पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेन्ट/वादी

2 बदामा उम्र 55 वर्ष पत्नी ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
3 मुकेश उम्र 33 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
4 कर्मवीर उम्र 29 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
5 छिनो देवी उम्र 78 वर्ष पत्नी जीवण राम जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
6 दयानन्द उम्र 58 वर्ष पुत्र जीवणरम जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
7 कप्तान उम्र 45 वर्ष पुत्र जीवणराम जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
8 मदनलाल उम्र 42 वर्ष पुत्र जीवणराम जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (मिनि झुन्झुनू)

9 अमर सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र ज्यानकी जाति मेघवाल निवासी पिचानवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
10 बुद्धराम उम्र 47 वर्ष पुत्र ज्यानकी जाति मेघवाल निवासी पिचानवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
11 मालीराम उम्र 70 वर्ष दत्तक पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
12 माईचन्द उम्र 52 वर्ष पुत्र सोलिया उर्फ सोनिया उर्फ सोनारम जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
13 भागीरथ उम्र 45 वर्ष पुत्र सोलिया उर्फ सोनिया उर्फ सोनाराम जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) दौराने अपील "मृतक"–
13/1 मनोहरी देवी पत्नी भागीरथ जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
13/2 शेरसिंह पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
13/3 विजेन्द्र पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
13/4 रघुवीर पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
13/5 संजय पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसीलल सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
13/6 श्रीमती गुड्डी देवी उर्फ कविता पुत्री भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी निहालोठ की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
13/7 श्रीमती धनकोर पुत्री भागीरथ पत्नी हरिसिंह जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी निहालोठ की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुन्झुनू)

13/8 सुशीला पुत्री भागीरथ पत्नी रवि जाति मेघवाल निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी केहरपुरा कलां तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
14 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
15 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चिड़ावा जरिये प्रबन्धक शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

प्रथम अपील अः सेक्शन 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश व डिक्री दिनांकित
30.05.2013 बमुकदमा उनवानी हरदयाल बनाम
बदामी दावा बाबत विभाजन मु.नं. 154/2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री मो. अफरोज , अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.2.23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 154/2007 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी हरदयाल ने योग्य अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत में एक दावा बाबत खाता विभाजन का उनवानी हरदयाल बनाम बदामी वगैरह का इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 970 रकबा 5.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 971 रकबा 17.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 974 रकबा 8.40 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 31.68 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम काकोड़ा तहसील चिड़ावा हाल तहसील सुरजगढ़ स्थित है। जिसमें वादी हरदयाल 1/12 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार है और उपरोक्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाउण्डस एवं मिट्स के आधार विधिवत विभाजन फरमाकर उसका अलग से 5/24 हिस्से की भूमि पर कब्जा करवाया जाना फरमाये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर योग्य अदालत मातहत ने दिनांक 25.10.2012 को पक्षकारान के मध्य प्रारम्भिक डिक्री पारित कर तहसीलदार सूरजगढ़ को 500/– रूपये कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया कि विवादित भूमि मौजा ग्राम काकोड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 970, 971, 974 का समस्त पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये व विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते का भी प्रावधान रखा जावें। जिसके बाद में योग्य अदालत मातहत में दिनांक 30.05.2013 को तहसीलदार, तहसील सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों विश्वास कर पक्षकारान के मध्य डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

संभागीय अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.05.2013 को योग्य अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के द्वारा दायर उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नही था, क्योंकि दिनांक 30.05.2013 से बहुत पहले ही उपखण्ड कार्यालय सूरजगढ़ के न्यायालय का गठन हो चुका था व उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़, सूरजगढ़ तहसील से सम्बन्धित सभी वादों की सुनवाई करने लग गये, व दिनांक 30.05.2013 से पूर्व के जो वाद योग्य अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत में सूरजगढ़ तहसील से सम्बन्धित विचाराधीन थे तो समस्त मुकदमात उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ की अदालत में कानूनन मुन्तकिल कर दिये गये थे इसलिए कानूनन सूरजगढ़ तहसील से सम्बन्धित आराजियात के वादों का श्रवणाधिकार योग्य अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत में निहित नही थे इसलिए योग्य अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत ने उक्त निर्णय दिनांकित 03.05.2013 पारित कर बेजा खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। अदालत मातहत में उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.05.2013 को पारित करते वक्त योग्य अदालत मातहत की पत्रावली पर कानूनन कतई सही ढंग से गौर नहीं किया व अपना माईण्ड सही ढंग से अप्लाई नही किया क्योंकि योग्य अदालत मातहत ने प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित 25.10.2012 को जारी कर आदेश फरमाया है कि तहसीलदार सूरजगढ़ बहैशियत कमिश्नर मौके पर जाकर जमीन मुतदावियात का पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर योग्य अदालत मातहत को भिजवायें, लेकिन कमिश्नर तहसीलदार सूरजगढ़ असालतन खुद मौके पर नही गये बल्कि नायब तहसीलदार सूरजगढ़ ने दिनांक 11.05.2013 को जमीन मुतदावियात के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर योग्य अदालत मातहत को भिजवाये है जो पक्षकारान की गैरमौजूदगी में व पक्षकारान को बिना नोटिस दिये ही बाला–बाला ही तैयार किये गये है। जो पक्षकारान प्रतिवादीगण में किसी की भी मौजूदगी में तैयार नही किये गये है, मात्र वादी हरदयाल के हस्ताक्षर मौजूदगी के दर्ज है इसलिए नायब

...री एव
...अधिकारी

तहसीलदार सूरजगढ़ ने बाला–बाला ही वादी हरदयाल के असर में आकर विधि विरूद्ध प्रस्ताव तैयार कर योग्य अदालत मातहत को भिजवाये है, परन्तु तहसीलदार सूरजगढ़उ ने खुद ने मौके पर जाकर विवादित आराजियात के विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये है इसलिए योग्य अदालत मातहत के द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित 25.10.2012 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार नही होने के कारण सारी कार्यवाही विधि विरूद्ध व अवैध हुई है। तहसीलदार सूरजगढ़ के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नही कर भिजवाये जाने पर योग्य अदालत मातहत को पुनः तहसीलदार सूरजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मंगवाये जाने चाहिए थे। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त कमिश्नर को जिस भूमि पर पक्षकार का कब्जा होता है उसी के सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव में उसको उक्त भूमि का बंटवारे में दिये जाने का विभाजन प्रस्ताव में उल्लेख होना आवश्यक होता है कमिश्नर अपनी मनमर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार नही कर सकता तथा अगर कमिश्नर अपनी मनमर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार करता है तो कमिश्नर के द्वारा किया गया ऐसा कार्य प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो के खिलाफ होता है जैसा कि मौजूदा मामले में हाल खसरा नम्बर 970 मौजा काकोड़ा की भूमि के मामले में अपीलान्ट पप्पु कुमार व इसके भाई मुकेश कुमार व कर्मवीर व माता बदामी का सम्बन्ध है उनका कब्जा इस खेत के उत्तरी हिस्से में उनके हिस्से के मुताबिक पूर्वी सिरे से पश्चिमी सिरे तक की पूरी भूमि पर कब्जा है परन्तु विभाजन प्रस्ताव में उक्त खसरा नम्बर 970 के पूर्वी हिस्से में उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे तक की भूमि के रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि को वादी हरदयाल के हिस्से में दिया जाना दर्ज कर दिया जबकि वादी हरदयाल का कभी भी उक्त खसरा नम्बर 970 रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा नही रहा जो गैरकानूनी व विधि विरूद्ध प्रस्ताव तैयार किया गया है जबकि इस 0.88 हैक्टेयर की भूमि के अन्दर से पूर्वी दिशा में अपीलान्ट पप्पु कुमार व इसके भाई बंद व परिवार के लोग अधिकार के रूप में रास्ते का उपयोग भी शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी रूकावट के करीब पिछले 30 वर्षो से अधिक अवधि से आवागमन के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

रूप में लेते है और इस रकबे के सटकर ही अपीलान्ट पप्पु कुमार व इसके परिवार के रिहायशी मकानात बने हुए है जिनका निकास व दरवाजा उक्त 0.88 हैक्टेयर की भूमि में ही खुलता है। योग्य अदालत मातहत ने दिनांक 25.10.2012 के निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त सूरजगढ़ तहसीलदार को आदेशित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त पक्षकारो के रास्तों का प्रावधान रखे जाने हेतु आदेश दिया है परन्तु नायब तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के सभी कानून व कायदे ताक पर रखकर काल्पनिक विभाजन प्रस्ताव तैयार किए है और रास्तों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान ही नही रखा गया है। उक्त दावे के सम्मनों की तामिल कभी भी सही रिति व नीति से अपीलान्टस पर नही हुई है इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्टस की तरफ से नाकाफी तामिल को पर्याप्त तामिल मानकर योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्टस के विरूद्ध में उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.05.2013 पारित कर अहम कानूनी भूल की है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 स्वीकार की जावें। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी है अन्तिम डिक्री को चुनौती दी है। अतः अन्तिम डिक्री के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलांट द्वारा इस एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने के लिए आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय में आवेदन तथा अपील एक साथ प्रस्तुत की है, जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। अपीलांट दोनों विकल्पों का एकसाथ उपयोग नहीं कर सकता है। विचाराधीन अंतिम डिक्री की पालना हो चुकी है। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय एसडीओ सूरजगढ़ का गठन हुआ था। अधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ था। इसलिए यह पत्रावली हस्तान्तरित नहीं हुई थी। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2002 एससी पेज 2286, 2013 (2) डीएनजे राज. पेज 723, 2012(2) डीएनजे राज. पेज 1151, 1996(3) डब्ल्यूएलसी राज. पेज 720, 1992(2) डब्ल्यूएलसी राज. पेज 273, एआईआर 2011 (एससी) पेज 1150 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय अपीलांट को सुने बिना पारित किया गया है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट का विशेष ऐतराज रहा है कि अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया एवं अपील भी प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार अपीलांट दोनों विकल्पों का एकसाथ उपयोग नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 9 नियम 13 विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2018 को आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जा चुका है। स्पष्ट है कि अपीलांट का आवेदन आदेश 9 नियम 13 विचारण न्यायालय द्वारा तकनीकि आधार पर खारिज किया गया है विचारण न्यायालय द्वारा इस आवेदन पर गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अपील के निस्तारण के समय अपीलांट का आवेदन लंबित भी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट की आपत्ति स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

योग्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आदेश 9 नियम 13 के संदर्भ में है जबकि प्रस्तुत अपील आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत नहीं होकर अंतिम डिक्री के विरूद्ध है। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचाराधीन अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2015 को प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 11.08.2015 से बहस की दिनांक 30.01.2023 तक आदेश 9 नियम 13 के संदर्भ में कोई प्राथमिक/विधिक आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। वर्तमान में केवल अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील लंबित है। आदेश 09 नियम 13 का आवेदन लंबित नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार विभाजन प्रस्ताव एवं उसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री की विधिक वैद्यता को चुनौती दी गई है। विभाजन के संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने आज्ञापक व्यवस्था दी है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार उभयपक्ष को नोटिस देकर स्वयं मौके पर जाकर तैयार करेंगें। विचारण न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव हेतु नोटिस जारी किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के नीचे नायब तहसीलदार अंकित है। इन विभाजन प्रस्तावों को विचारण न्यायालय को प्रेषित करने के पत्र पर हस्ताक्षर के नीचे तहसीलदार अंकित है जबकि विभाजन प्रस्ताव एवं पत्र पर अंकित हस्ताक्षर समान है पदनाम तहसीलदार एव नायब तहसीलदार अंकित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव विधि अनुकूल नहीं माने जा सकते है। फलतः विचारण न्यायालय द्वारा इन विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री को भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(जिला झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में माननीय मण्डल के आज्ञापक प्रावधानों की पालन में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.2.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर